रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 782] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 15, 2017/भाद्र 24, 1939
No. 782] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 15, 2017/ BHADRA 24, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 2017

सं. 33/2017- केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1163(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 18 सितंबर, 2017 को उस तारीख के रूप से नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के उपबंध, उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों और उक्त अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

(क) किसी कार्य को करने के लिए साम्या या नियंत्रण द्वारा पचास प्रतिशत या अधिक की भागीदारी के साथ,—

(i) संसद् या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा गठित ; या

(ii) किसी सरकार द्वारा स्थापित,

कोई प्राधिकरण या बोर्ड या कोई अन्य निकाय ;

(ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित कोई सोसाइटी ;

(ग) पब्लिक सेक्टर उपक्रम :

परंतु उक्त व्यक्ति, केंद्रीय सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को किए गए या जमा किए गए संदाय से कर की कटौती करने का दायी होगा ।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पार्ट)]

डॉ. श्रीपार्वती एस.एल., अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2017

No. 33/2017-Central Tax

G.S.R. 1163(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby appoints the 18th day of September, 2017 as the date on which the provisions of sub-section (1) of section 51 of the said Act shall come into force with respect to persons specified under clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 51 of the said Act and the persons specified below under clause (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act, namely:—

(a) an authority or a board or any other body,—

(i) set up by an Act of Parliament or a State Legislature; or

(ii) established by any Government,

with fifty-one per cent or more participation by way of equity or control, to carry out any function;

(b) society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);

(c) public sector undertakings:

Provided that the said persons shall be liable to deduct tax from the payment made or credited to the supplier of taxable goods or services or both with effect from a date to be notified subsequently, on the recommendations of the Council, by the Central Government.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.)]

Dr. SREEPARVATHY S.L., Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.18 13:23:47 +05'30'